दाण्डिक प्रकरण कमांक-64/13 Filling-no- 235103002332013

## न्यायालय—साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म०प्र०

दाण्डिक प्रकरण कमांक—64 / 13 संस्थित दिनांक— 06.03.2013 Filling-no- 235103002332013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।

....अभियोजन

## विरुद्ध

1— प्रेमसिंह पुत्र बघेल सिंह जाति सिख उम्र 30 साल निवासी— मूडरा बहादुरा पिपरई जिला अशोक नगर म0प्र0

2— वलवीर सिह पुत्र कालूराम कोरी उम्र 35 साल निवासी मूडरा बहादुरा जिला अशोक नगर म0प्र0

.....आरोपीगण

## <u>: : निर्णय : :</u> (आज दिनांक— 12.04.2017 को घोषित किया गया)

- 01. अभियुक्त प्रेमसिह के विरूद्ध धारा 279, 338 भा०द०वि० एवं 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की विशिष्टियां इस आशय की है कि दिनांक 18.01.2013 को 5 बजे अशोकनगर पिपरई रोड पर ग्राम रेहटवास में मोटर साईकिल क0 एमपी08 एमडी 1952 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त मोटरसाईकिल क0 एमपी08 एमडी 1952 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर फरियादी राजेश में टक्कर मारकर उसे घोर उपहित कारित की एवं उक्त मोटरसाईकिल क0 एमपी08 एमडी 1952 को बिना बीमा व लायसेंस के चलाया। अभियुक्त बलवीर सिह के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 18.01.2013 को 5 बजे अशोकनगर पिपरई रोड पर ग्राम रेहटवास में मोटरसाईकिल क0 एमपी08 एमडी 1952 को बिना बीमा व लायसेंस के चलवाया।
- 02. प्रकरण में अवलोकनीय है कि दिनांक 21.02.2017 को फरियादी / आहत व आरोपी के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी प्रेमसिह को धारा 338 भा0द0वि. के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी / आहत ने अपने पिता चम्पालाल, भाई प्रकाश, चाचा नन्दराम, विजय शुक्ला के साथ थाना पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 18.01.2013 को वह अजय शुक्ला के साथ अशोकनगर मण्डी से लौटकर आ रहा था। द्रेक्टर अजय शुक्ला चला रहे थे। द्रेक्टर रेहटवास रोड पर खडा किया वह पेशाब करने उतरा तो एक मोटरसाईकिल चालक अशोकनगर तरफ से तेजी व लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाता हुआ आया और उसे टक्कर मार दी। जिससे उसके सिर में पीछे चोट आई व बांये पैर में ध ाटने के उपर व दांहिने हाथ के पंजा पर व दांहिने पैर के घूटने के नीचे व दांहिने हाथ की कलाई में चोटे आई। मोटरसाईकिल चालक घटना स्थल से भाग गया, मोटरसाईकिल का नम्बर भी नहीं देख पाया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मोटरसाईकिल टीव्हीएस स्टार लाल रंग की एमपी08 एमडी 1952 को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्तगण परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 05. राजीनामा उपरांत न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :--
  - 1. क्या अभियुक्त प्रेमसिंह के द्वारा दिनांक 18.01.2013 को 5 बजे अशोकनगर पिपरई रोड पर ग्राम रेहटवास में मोटर साईकिल क0 एमपी08 एमडी 1952 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
  - 2. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त वाहन को अभियुक्त द्वारा बिना बीमा व लायसेंस के चलाया ?
  - 3. क्या अभियुक्त बलवीर के द्वारा दिनांक 18.01.2013 को 5 बजे अशोकनगर पिपरई रोड पर ग्राम रेहटवास में मोटर साईकिल क0 एमपी08 एमडी 1952 को बिना बीमा के चलवाया ?
  - 4. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलवाया ?

- 06. विचारणीय प्रश्न क. 1, 2, 3 व 4 एक—दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। राजेश अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जानता पहचानता है। घटना करीब 3—4 साल पहले की है। घटना शाम 4 बजे की है। वह शुक्लापुरी के ट्रेक्टर में बैठकर अशोकनगर मण्डी से वापस आ रहा था। वह ग्राम रेहटवास के पास पेशाब करने रूका था, तो उस समय चक्कर आ गया था जिस कारण वह रोड पर गिर गया था, गिरने के कारण उसे पैर में और शरीर में छोटी मोटी चोटे आई थी। उसके साथ किसी व्यक्ति ने कोई घटना या दुर्घटना कारित नहीं की। उसे शुक्ला जी ट्रेक्टर से इलाज हेतु पिपरई अस्पताल लेकर गए थे। पिपरई से और कही ईलाज के लिये नहीं गये थे। उसके बांये पैर में चोट लग गई थी। उसने पैर की चोट का इलाज पिपरई में कराया था। घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ करने नहीं आया था।
- 08— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी चम्पालाल अ0सा02, अयज शुक्ला अ0सा03, विजय शुक्ला अ0सा04 ने उनके न्यायालयीन कथनो में बताया कि राजेश घटना के समय अशोकनगर से वापस आते समय रेहटवास के पास पेशाब करने उतरा था तो उस समय राजेश को चक्कर आ गया था और पत्थरो पर गिर जाने से उसके हाथ पैर व सिर में चोट आ गई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी चम्पालाल अ0सा02, अयज शुक्ला अ0सा03, विजय शुक्ला अ0सा04 को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त समस्त साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाब से स्पष्टतः इंकार किया कि अशोकनगर तरफ से एक मोटरसाईकिल चालक उसकी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से

चलाकर लाया और राजेश को टक्कर मार दी थी।

- 09. इस प्रकार अभियोजन की ओर से आई साक्ष्य से स्वयं फरियादी/आहत राजेश अहिरवार अ0सा01 एवं अन्य साक्षी चम्पालाल, अजय शुक्ला, विजय शुक्ला द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया। है कि घटना के समय अभियुक्त प्रेमसिह मोटरसाईकिल को चला रहा था। जहां की अभियोजन साक्षियों के कथनो अनुसार आरोपी प्रेमसिह द्वारा घटना के समय मोटरसाईकिल चलाना प्रमाणित नहीं है। वहां यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त प्रेम सिह ने मोटरसाईकिल क0 एमपी08 एमडी 1952 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन किया और न ही यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त प्रेमसिह ने उक्त मोटरसाईकिल को बिना बीमा व लाइसेंस के चलाया। जहां कि अभियुक्त प्रेमसिह द्वारा घटना के समय मोटरसाईकिल कमांक एमपी08 एमडी 1952 चलाना प्रमाणित नहीं है वहां यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त मोटरसाईकिल को अभियुक्त बलवीर सिह द्वारा बिना बीमा व लाइसेंस के चलवाया गया था।
- 10. उपरोक्त सम्पूर्ण विशलेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त प्रेमसिंह के विरूद्ध भा०द०स० की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं अभियुक्त वलवीर सिंह के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त प्रेमसिंह को भा०द०स० की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं अभियुक्त वलवीर सिंह को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11. प्रकरण में जप्तसुदा मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी08 एमडी 1952 पूर्व से सुपुर्दी पर है अतः सुपुर्दीनामा सुपुर्दीदार के पक्ष में अपील अविध पश्चात् भारमुक्त समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 12. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
  निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 //5//

दाण्डिक प्रकरण कमांक—64 / 13 Filling-no- 235103002332013 //6//

दाण्डिक प्रकरण कमांक—64 / 13 Filling-no- 235103002332013